(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)

Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Education/Siksha Mantralaya
Department of Higher Education/Uchchatar Siksha Vibhag
(ICR Division)

Kartavya Bhawan-2, New Delhi
Dated: 30th March, 2026

NOTIFICATION

No. 9/3/2018-U.3(A): Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. **And whereas,** in exercise of powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, this Ministry, vide Notification No.9/3/2018-U.3(A) dated 09.11.2020, on the advice of UGC, declared National Institute of Ayurveda (NIA), Jaipur, Rajasthan as an Institution deemed to be University under de-novo category for a provisional period of five years subject to certain conditions.

3. **And further whereas**, a proposal was submitted by National Institute of Ayurveda, Jaipur, Rajasthan for extension of its deemed to be University status beyond 08.11.2025. UGC was requested to examine the proposal and submit its advice to this Ministry.

4. **And whereas**, UGC, vide its letter no. 1-5/2023 (CPP-I/DU) dated 03.03.2026, informed that the application was examined with the help of its Expert committee in accordance with the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023. The Expert Committee recommended for extension of the deemed to be University status beyond 08.11.2025. The Commission considered and approved the recommendation of UGC Expert Committee in its 595th meeting (Item No. 2.08) held on 30.01.2026

5. **Now, therefore**, on the advice of UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred under section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the deemed to be University status of National Institute of Ayurveda, Jaipur, Rajasthan beyond 08.11.2025.

6. All the other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the rules / regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered to by National Institute of Ayurveda (Deemed to be University), Jaipur, Rajasthan.

(Purnendu Kishore Banerjee)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: +91 11 24015038

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi – 110002

Copy forwarded to:

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi – 110002.

2. The Vice-Chancellor, National Institute of Ayurveda (Deemed to be University), Jaipur, Rajasthan.
3. The Secretary, Ministry of Ayush, Ayush Bhawan, B Block, GPO Complex, INA, New Delhi – 110023.
4. The Principal Secretary (Higher Education), State Government of Rajasthan, Block-IV, Dr. S. Radhakrishnan Shiksha Sankul, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur, Rajasthan-302015.
5. The Secretary, National Commission for Indian System of Medicine (NCISM), Plot No. T-19, 1st & 2nd Floor, Block-IV, Dhanwantari Bhawan, Road No 66, Punjabi Bagh (West), New Delhi-110026.
6. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi-110001.
7. The Secretary-General, Association of Indian Universities, A.I.U. House, 16, Kotla Marg, New Delhi - 110002.
8. Joint Director (Administration) & Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi with the request to issue necessary instructions to the CMIS Unit to display this notification on the website of Department of Higher Education.
9. PS to Hon'ble EM.
10. Guard file / Notification file.

(Jyoti Ranjan)
Under Secretary to the Government of India
Tel: +91 11 24014923

(भारत के राजपत्र भाग-I खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
आईसीआर प्रभाग

कर्तव्य भवन-2 नई दिल्ली
दिनांक: 30 मार्च, 2026

अधिसूचना

सं. 9/3/2018-यू.3(अ): जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर उच्चतर शिक्षा संस्थान को सम-विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. **और जबकि,** यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर दिनांक 09.11.2020 की अधिसूचना संख्या 9/3/2018-यू.3 (ए) के माध्यम से, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए), जयपुर, राजस्थान को कुछ शर्तों के अध्यधीन पांच वर्ष की अनंतिम अवधि के लिए डी-नोवो श्रेणी के तहत एक सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया।

3. **और आगे जबकि,** राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, राजस्थान द्वारा अपने सम विश्वविद्यालय के दर्जे को दिनांक 08.11.2025 से आगे बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया गया कि वह इस प्रस्ताव की जांच करे और इस मंत्रालय को अपनी सलाह प्रस्तुत करे।

4. **और जबकि**, यूजीसी ने दिनांक 03.03.2026 के अपने पत्र संख्या 1-5/2023 (सीपीपी-I/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार इसके आवेदन की जांच विशेषज्ञ समिति की मदद से की गई। विशेषज्ञ समिति ने सम विश्वविद्यालय के दर्जे को दिनांक 08.11.2025 से आगे बढ़ाने की सिफारिश की। आयोग ने दिनांक30.01.2026 को हुई अपनी 595वीं बैठक (मद संख्या 2.08) में यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया और उन्हें मंजूरी दी ।

5. **अब, इसलिए**, केंद्र सरकार, यूजीसी की सलाह पर, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, राजस्थान के सम विश्वविद्यालय के दर्जे को दिनांक 08.11.2025 से आगे बढ़ा रही है।

प्रकाश

6. इस मंत्रालय की पूर्व की अधिसूचना (अधिसूचनाओं) में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों के साथ-साथ समय-समय पर जारी यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के नियमों/विनियमों का राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (सम विश्वविद्यालय), जयपुर, राजस्थान द्वारा पालन किया जाना जारी रहेगा।

पूर्णेंदु बनर्जी

(पूर्णेंदु किशोर बनर्जी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: +91 11 24015038

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड, नई दिल्ली - 110002

प्रति अग्रेषित:

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002.
2. कुलपति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (सम विश्वविद्यालय), जयपुर, राजस्थान।
3. सचिव, आयुष मंत्रालय, आयुष भवन, बी ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली - 110023
4. प्रमुख सचिव (उच्चतर शिक्षा), राजस्थान राज्य सरकार, ब्लॉक-IV, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर, राजस्थान-302015
5. सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयोग (एनसीआईएसएम), भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए (एनसीआईएसएम) के मुख्य पृष्ठ सं 1000 टी-19, पहली और दूसरी मंजिल, ब्लॉक-IV, धनवंतरी भवन, रोड नंबर 66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली-110026
6. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001
7. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ए.आई.यू. हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली - 110002
8. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) और वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली से अनुरोध है कि सीएमआईएस इकाई को उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर इस अधिसूचना को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।
9. माननीय शिक्षा मंत्री के निजी सचिव।
10. गार्ड फ़ाइल/अधिसूचना फ़ाइल।

(ज्योति रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: +91 11 24014923